

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन कार्यालय)
आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक: बी0-114-108(0001)/2016-62/आ० दिनांक 22.11.2016 के द्वारा प्राप्त शीर्ष 2015-निर्वाचन-108 मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करना -0001- मतदाताओं को पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय की 11 01 यात्रा व्यय, विपत्र कोड-एन 2015001080001 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिसे निम्न प्रकार स्तम्भ (2) में अंकित पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ (4) में अंकित राशि उपावटित की जाती है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का पदनाम	11 01 यात्रा व्यय		
		वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व उपावटित राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में वर्तमान में उपावटित की जा रही राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में वर्तमान उपावटन को मिलाकर कुल उपावटित राशि (₹ में)
1	2	3	4	5
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	0	₹ 6,000	₹ 6,000.00
	योग:-		₹ 6,000.00 (छः हजार रुपये) मात्र	₹ 6,000.00 (छः हजार रुपये) मात्र

2. उपावटित राशि का व्यय शीर्ष 2015-निर्वाचन-108 मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करना -0001- मतदाताओं को पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय की 11 01 यात्रा व्यय इकाई में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपावटित राशि से विकलित होगा।

3. उपावटित राशि मांग संख्या-06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड एन-2015001080001 है।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक: एन-4-05/98-2561 वि०(2) दिनांक-17.04.1998 पत्रांक -423/वि० दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक 2793/वि० दिनांक 04.04.2016 एवं पत्रांक- 4572/वि० दिनांक- 03.06.2016 के आलोक में उपावटित है।

5. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस उपावटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6. किसी भी परिस्थिति में उपावटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा नियमानुसार जाँचकर भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

7. (i) यह राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित दायित्वों के भुगतान हेतु उपावटित है। इसे सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इस उपावटित राशि में से पूर्व के वित्तीय वर्षों के किसी बकाया का भुगतान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्वानुमति के बिना नहीं की जाएगी।

(ii) यात्रा व्यय इकाई में प्रति विधान सभा ₹ 2,000/- की दर से अनुमानित व्यय का प्राक्कलन करने के उपरान्त अधिकतम अनुमान्य राशि उपावटित की गयी है।

(iii) उपावटित राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर कदापि नहीं की जायेगी।


8. इस उपावटन आदेश की सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 774/नि0, दिनांक: 6/12/16


प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 774/नि0, दिनांक: 6/12/16


प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 774/नि0, दिनांक: 6/12/16

प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, —सह— सरकार के प्रधान सचिव बिहार पटना के पत्रांक —बी0—114—108(0001)/2016—62/आ0 दिनांक 22.11.2016 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।